रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2019/अग्रहायण 27, 1941
No. 469] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019/AGRAHAYANA 27, 1941

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2019

सं. भा.आ.प.-12(2)/2019-मेड.विविध/172844.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" को पुन: संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:-

1. (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" में, अनुसूची 1 में खंड 13 के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

13. <u>अभ्यागत संकाय सदस्य</u>

(i) **<u>उद्देश्य</u>** : प्रि.नैदानिक, पारा-नैदानिक और नैदानिक विभागों में स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर दोनों के छात्रों के अध्ययन की व्यापकता और गुणवत्ता में वृद्धि करने की दृष्टि से, मेडिकल कालेज / चिकित्सा संस्थान, अंश-कालिक आधार पर अतिरिक्त संकाय सदस्य नियुक्त कर सकते हैं जो "अभ्यागत संकाय सदस्य" के रूप में जाने जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा में भारतीय प्रसार के समावेश को प्रोत्साहित करने और सुसाध्य बनाने के लिए, भारत के समुद्रपारीय नागरिक भी अभ्यागत संकाय सदस्य के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं।

(ii) **<u>संकाय सदस्य</u>** : सुसंगत "50/100/150/200/250 एम.बी.बी.एस. दाखिले प्रतिवर्ष के लिए मेडिकल कालेज के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली" और "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में न्यूनतम संकाय सदस्यों के अलावा, प्रि-नैदानिक, पारा-नैदानिक और नैदानिक विभाग (गों) में स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर अध्यापन के लिए मेडिकल कालेज / चिकित्सा संस्थानों द्वारा अभ्यागत संकाय सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं।

(iii) **<u>शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव</u>** : संबंधित विशेषता में नियुक्ति के लिए अभ्यागत संकाय सदस्य के पास, ऊपर उल्लिखित संबंधित विनियमावली में यथा विनिर्धारित स्नातकोत्तर डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात संबंधित विशेषज्ञता में कम से कम आठ वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा, जिस तक कोई व्यक्ति अभ्यागत संकाय सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, 70 वर्ष होगी।

(iv) **संकाय सदस्य की अनुमत सीमा** : स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर अध्यापन के लिए किसी विभाग में संकाय सदस्यों की संख्या, सुसंगत "50/100/150/200/250 एम.बी.बी.एस. दाखिले प्रतिवर्ष के लिए मेडिकल कालेज के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली" और "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में संबंधित विशेषज्ञता के लिए विनिर्धारित संकाय सदस्यों की संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

(v) **चयन** : अभ्यागत संकाय सदस्यों का चयन, एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें ये सम्मिलित होंगे : मेडिकल कालेज / चिकित्सा संस्थान का निदेशक / प्रधानाचार्य / डीन जो समिति का अध्यक्ष होगा ; संबंधित विशेषज्ञता का विभागाध्यक्ष ; किसी अन्य विशेषज्ञता का विभागाध्यक्ष ; और नगर से बाहर के किसी मेडिकल कालेज /चिकित्सा संस्थान, वरियतः राष्ट्रीय महत्व के किसी संस्थान से उस विषय पर कम से कम एक विशेषज्ञ / संकाय सदस्य में ऐसा / ऐसे व्यक्ति शामिल किया जा सकता हैं / किए जा सकते हैं, जो निजी स्वास्थ्य देखभाल, गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत हों, सेवानिवृत्त व्यक्ति आदि हों, जो अध्यापन में रूचि रखते हों । नियुक्ति में ऐसे व्यक्तियों को वरियता दी जाएगी, जिन्होंने मेडिकल कालेजों / चिकित्सा संस्थानों या राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड से संबद्ध चिकित्सा संस्थानों या विदेशी चिकित्सा अध्यापन संस्थानों में सेवा की है ।

(vi) **नियुक्ति का कार्यकाल** : अभ्यागत संकाय सदस्य, पहली बार में एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति हेतु पात्र होगा । इसे मेडिकल कालेज / संस्थान के डीन / प्रधानाचार्य / निदेशक द्वारा अगले वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । तथापि, दो वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात मौजूदा अभ्यागत संकाय सदस्य के नाम पर, ऊपर उल्लिखित नई चयन प्रक्रिया के जरिए दो वर्ष की उत्तरवर्ती अवधि के लिए पुनः नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है । दो वर्ष की प्रत्येक अवधि के पश्चात, पदधारी अभ्यागत संकाय सदस्य अगली पुनः नियुक्ति (यों) के लिए नई प्रक्रिया दोहराई जाएगी । संकाय सदस्य के कार्यकाल विस्तारण/पुनः नियुक्ति के लिए सिफारिश करने में छात्रों के फीडबैक को ध्यान में रखा जाएगा । असंतोषजनक कार्य और / या कदाचार की स्थिति में मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान अभ्यागत संकाय सदस्य को नौकरी से बर्खास्त कर सकता है ।

(vii) **कार्य का दायरा और फीडबैक** : अभ्यागत संकाय सदस्य को संबंधित मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान द्वारा अध्यापन जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी । प्रत्येक अभ्यागत संकाय को एक महीने में कम से कम चार सत्र संचालित करने चाहिएं, जैसे सिद्धांत, लघु समूह चर्चाएं, प्रयोगात्मक, समुदाय आधारित सत्र या नैदानिक / शैय्यागत अध्यापन सत्र आदि, जिनमें प्रत्येक सत्र कम से कम तीन घं□की अवधि का होगा । अभ्यागत संकाय सदस्य को विभाग के नैत्यक प्रशासनिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा और वह विभाग में पूर्णकालिक संकाय सदस्य की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां प्रतिस्थापित नहीं करेगा । अभ्यागत संकाय सदस्य द्वारा अध्यापन पर छमाही फीड बैक, मेडिकल कालेज / चिकित्सा संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाएगा ।

(viii) **मानदेय** : कालेज, अभ्यागत संकाय सदस्य को मानदेय प्रदान कर सकता है ।

(ix) **अन्य** : नियमित और अभ्यागत दोनों संकाय सदस्यों के ब्यौरे, मेडिकल कालेज / चिकित्सा संस्थान की वेबसाइ□पर प्रदर्शित किए जाएंगे । इसके अलावा, अभ्यागत संकाय सदस्य, संबंधित विभाग में आवश्यक संकाय सदस्यों की न्यूनतम संख्या के लिए सुसंगत "50/100/150/200/250 एम.बी.बी.एस. दाखिले प्रतिवर्ष के लिए मेडिकल कालेज के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली" या "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में विनिर्धारित संकाय सदस्यों की आवश्यकता के लिए नहीं गिने जाएंगे ।

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./361/19]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामत: "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" दिनांक 05 दिसंबर, 1998 को भारत के राजपत्र के भाग III खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 16/03/2005, 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03/11/2010, 08/07/2011, 12/06/2012, 06/09/2012, 01/10/2012, 16/05/2015, 13/07/2016, 11/03/2017, 08/06/2017, 23/01/2018, 01/11/2018, 07/06/2019 और 16/08/2019 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

BOARD OF GOVERNORS

IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2019

No. MCI-12(2)/2019-Med.Misc./172844.—In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), in Supersession of the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to further amend the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998", namely:-

1. (i) These regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2019".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", the following shall be added as Clause 13 in Schedule I:-

13. <u>Visiting Faculty</u>

(i) Objective: With a view to enhance the comprehensiveness and quality of teaching of both Undergraduate and Postgraduate students in pre-clinical, para-clinical and clinical departments, Medical Colleges/Medical Institutions can appoint additional Faculty Members on part-time basis who would be known as "Visiting Faculty". To encourage and facilitate the inclusion of Indian Diaspora in medical education, Overseas Citizens of India can also be appointed as Visiting Faculty.

(ii) Visiting Faculty: Visiting Faculty, over and above the minimum faculty prescribed in the relevant "Minimum Standard Requirements for the Medical College for 50/100/150/200/250 MBBS Admissions Annually Regulations" and the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", may be appointed by the Medical College/Medical Institutions for undergraduate and postgraduate teaching in pre-clinical, clinical and para-clinical department(s).

(iii) Qualifications and Experience: The Visiting Faculty should possess the postgraduate degree as prescribed in the respective Regulations referred to above for appointment in the concerned specialty and a minimum of eight years of work experience in the concerned specialty after obtaining the postgraduate degree. The maximum age limit up to which a person can be appointed as a Visiting Faculty shall be 70 years.

(iv) Permissible Limit of Visiting Faculty: The strength of Visiting Faculty in a Department for undergraduate and postgraduate teaching cannot be more than fifty per cent of the faculty strength prescribed for the concerned specialty in the relevant "Minimum Standard Requirements for the Medical College for 50/100/150/200/250 MBBS Admissions Annually Regulations" and the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000".

(v) Selection: The selection of Visiting Faculty members shall be made by a Committee comprising: Director/Principal/Dean of the Medical College/Medical Institution, who shall be the chair of the Committee; the Head of Department of the concerned specialty; the Head of Department from any other Specialty; and at least one expert on the subject from a Medical College/Medical Institution outside the city, preferably from an institute of national importance. Visiting Faculty could include such person(s) as those working in private health care, non-governmental organizations, retired personnel, etc. who are interested in teaching. Preference in appointment shall be given to those who have served as Faculty in Medical Colleges/Medical Institutions or in Medical Institutions affiliated with the National Board of Examination or in Foreign Medical Teaching Institutions.

(vi) Duration of appointment: Visiting Faculty shall be eligible for appointment for a period of one year at the first instance. The same can be extended by the Dean/Principal/Director of the Medical College/Medical Institution for another year. However, after the expiry of a two-year term, the existing Visiting Faculty may be considered for re-appointment for subsequent term of two years through a fresh selection process outlined above. The same process will be repeated for further re-appointment(s) of incumbent Visiting Faculty after each term of two years. Student feedback will be taken into account in making recommendation for extension / re-appointment of the Visiting Faculty. Medical College/Medical Institution may terminate the services of the Visiting Faculty in the event of unsatisfactory work and/or misconduct.

(vii) Scope of work and feedback: Visiting Faculty will be assigned teaching responsibilities by the Medical College/Medical Institution concerned. Each Visiting Faculty member should conduct at least four sessions in a month, such as theory, small group discussions, practicals, community-based sessions or clinical / bed-side teaching sessions, etc., with each session of not less than 3 hours' duration. The Visiting Faculty shall not be involved in the routine administrative work of the Department and shall not replace the roles and responsibilities of the full-time faculty in the Department. Six monthly feedback on teaching by the Visiting Faculty will be obtained by the Medical College/Medical Institution.

(viii) Honorarium: The College may provide honorarium to the Visiting Faculty.

(ix) Others: The details of both Regular and Visiting Faculty shall be displayed on the website of Medical College/Medical Institution. Further, the Visiting Faculty shall not be counted for faculty requirement laid down in relevant "Minimum Standard Requirements for the Medical College for 50/100/150/200/250 MBBS Admissions Annually Regulations" or the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" for the minimum faculty strength required in the concerned Department.

Dr. R.K. VATS, Secy.-General

[ADVT.-III/4/Exty./361/19]

Footnote: The Principal Regulations namely, "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998" were published in Part- III, Section (4) of the Gazette of India on the 5th December, 1998 and amended *vide* MCI notifications dated 16/03/2005, 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03.11.2010, 08.07.2011, 12.06.2012, 06.09.2012, 01.10.2012, 16.05.2015, 13.07.2016, 11.03.2017, 08.06.2017, 23.01.2018, 01.11.2018, 07/06/2019 and 16/08/2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.20 17:54:32 +05'30'